कार्यालय जिलाधिकारी रामपुर

संख्या 440 /जि0आ0अ0/आ0दु0व्यवस्थापन/2018–19/रामपुर/दिनांक जुलाई 04, 2018

ई–टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद रामपुर में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अवशेष देशी शराब की 05, विदेशी मदिरा एवं बीयर की 01–01 दुकानों का पंचम चरण का व्यवस्थापन ऑन लाइन ई–टेण्डरिगं/ऑफर के माध्यम से निम्नवत समय सारणी के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा–

क्र0 सं0	विवरण	नियत तिथि
1	Tender publicing date	05-07-2018 at 15:30
2	Document Download start date	05-07-2018 at 15:30
3	Document Download end date	12-07-2018 at 09:30
4	Pre bid meeting date	07-07-2018 at 16:00
5	Bid submission start date	05-07-2018 at 15:30
6	Bid submission closing date	12-07-2018 at 09:30
7	Technical bid opening date	12-07-2018 at 11:00
8	Financial bid opening date	13-07-2018 at 14:00
9	The place of bid opening	Collectorate compound, Rampur
10	Tender inviting officer	Collector

ई–टेण्डरिगं हेतु शर्तें/नियम आबकारी आयुक्त द्वारा जारी ई–टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनांक 04.07.2018 के अनुरूप होंगे जिनमें से मुख्य–मुख्य निम्नवत हैं:–

1. देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की सम्बन्धित दुकान की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो कि **जिला आबकारी अधिकारी, रामपुर** के नाम से बना हो, जमा करनी होगी। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक से धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।

2. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 15000/– प्रोसेसिंग शुल्क एवं इस पर देय जी.एस.टी. रू0 2700 भी नियमानुसार देय होगा जो एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ (JILA ABKARI ADHIKARI, LUCKNOW) के पंजाब नेशन बैंक विपुल खंड लखनऊ स्थित खाता संख्या 4483002100004497 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0448300 है, में जमा करना होगा।

3. बिड जमा करने से सम्बन्धिम दिग्दर्शिका आबकारी विभाग की वेबसाईट www.upexcise.in पर ऑनलाइन बिड़ सब्मिशन शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है। दुकानों की सूची व उनके लिए निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक/ लाईसेंस फीस आदि का विवरण www.rampur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

4. आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा/बीयर दुकानों हेतु उक्त वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक ओवदक/ऑफर दाता को Digital Signature Certificate (DSC) के माध्यम से www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा।

5. व्यवस्थान की शेष शर्तें इसके पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही पूर्ववत रहेंगी।

6. आवेदक किसी भी दुकान हेतु उसके निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक/ लाईसेंस फीस के बराबर अथवा उससे अधिक का टेण्डर प्रस्तुत करेगा इससे कम का टेण्डर किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

7. ई–टेण्डर/ऑफर द्वारा पंचम चरण के व्यवस्थपन हेतु जनपद की देशी शराव/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर विक्री की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू. बेसिक/लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, प्रोसेसिंग शुल्क, धरोहर राशि व जी0एस0टी0/वैट का विवरण निम्नवत है:–

देशी शराब

क्रमांक	दुकान का नाम	प्रास्थिति	ई-टेण्डर ऑफर के लिए वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0/ला0फी0 (ब0 ली0) 36 %v/v	ई-टेण्डर ऑफर के लिए वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम बे0ला0फीस/ला0फी0 (ब0 ली0) 36 %v/v	वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित न्यूनतम एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस पर वांछित धरोहर धनराशि (रू0 में)	वांछित धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5	7	8
1	मिड्वे	नगरपालिका	46656	1306368	130637	न्यूनतम धरोहर धनराशि अथवा टेण्डर में ऑफर की गयी मात्रा गुणे 2.8 की राशि के बराबर का डी0डी0 जो जिला आबकारी अधिकारी रामपुर के नाम से हो। अपलोड/जमा करना होगा।
2	बंगाली कालोनी	ग्रामीण	4212	117936	11794	
3	गद्दी नगली	ग्रामीण	4212	117936	11794	
4	नवाबगंज	ग्रामीण	3377	94556	9456	
5	मंसूरपुर	ग्रामीण	3223	90244	9025	
			विदेशी मदिरा			
6	डूंगरपुर	नगरपालिका	-	1110000	111000	उपरोक्तानुसार ऑफर लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत का डी0डी0 अपलोड/जमा करना होगा।
			बीयर			
7	परम	ग्रामीण	-	42000	4200	तदैव

उपरोक्त विवरण में दुकानों हेतु न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक/लाईसेंस फीस दर्शाई गयी है जिसपर देय धरोहर राशि भी न्यूनतम आफर की ही है। आवेदक द्वारा उपरोक्त से अधिक का आफर प्रस्तुत करनें पर देशी मदिरा दुकान के प्रकरण में आफर की गयी मात्रा × 2.8 एवं विदेशी मदिरा व बीयर दुकान के प्रकरण में दुकान हेतु आफर किए गए लाईसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर राशि का ड्राफ्ट अपलोड/जमा करना होगा ई-टेण्डर/ऑफर से सम्बन्धित प्रेच्छाओं के समाधान के लिये आवेदक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी रामपुर के हैल्प डैस्क नम्बर 9454467067 तथा जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी निरीक्षकों से उनके मोबाईल नम्बर 9454466505, 9454466506, 9454466507, 9454465657, 9454466513, 9454466512, 9454466815 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(अवधेश राम) 4.7.18
जिला आबकारी अधिकारी
रामपुर।

(महेन्द्र बहादुर सिंह) 04.07.18
जिलाधिकारी,
रामपुर।

प्रकाशन हेतु नहीं

संख्या 441 (1-6)/तद्दिनांक।

1. सम्पादक .... को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति कम से कम स्थान में प्रकाशित कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित बिल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ।
3. उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद प्रभार, मुरादाबाद।
4. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना विज्ञान केन्द्र रामपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना जनपद की वेब साईट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5. जिला सूचना अधिकारी, रामपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त का अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
6. समस्त आबकारी निरीक्षक रामपुर को इस निर्देश के साथ कि पांचवे चरण में अवशेष दुकानों को शतप्रतिशत व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें तथा विज्ञापन की प्रतियां जनपद/तहसील/आबकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

(अवधेश राम) 4.7.18
जिला आबकारी अधिकारी
रामपुर।